न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कासेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 87/2015 (अपील)

1. चन्दा
2. हीरा पिसरान गोपी जी जाति चमार निवासी ग्राम अमरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक **28.09.2012 न्यायालय नायब तहसीलदार सा0 रामगंजमण्डी बउनवानी मुकदमा सरकार बनाम चन्दा वगै0 प्रकरण सं0 186/2012**

उपस्थिति

श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 17.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम नालोदिया की भूमि खसरा नम्बर 514 रकबा 0.87 हे0 किस्म गै0 मु0 पठार में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए प्रकरण संख्या 186/2012 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 250/– रूपये का शास्ति एवं एक माह (30 दिवस) का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 28.09.2012 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 13.05.2015 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम नालोदिया स्थित खसरा नं0 514 की रकबा 0.87 हे0 पर अतिकमी की रिपोर्ट करने पर प्रकरण दर्ज कर भूमि से बेदाल करने तथा जुर्माना 250/– कायम करने एवं एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अपीलान्टस ग्राम अमरपुरा तहसील रामगंजमण्डी के स्थायी निवासी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उन्हें पश्चातवर्ती अतिक्रमण का व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिये बिना ही अपीलान्टस पर नोटिस की तामील होना मानकर

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की हैं। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। न ही अपीलान्टस ने कोई नोटिस लेने से इन्कार किया था। अपीलान्टस ने उनके मकान पर भी कोई नोटिस चस्पा किया हुआ नहीं देखा था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस पर नोटिस की तामील होना मानकर अपीलान्टस के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से अपीलान्टस द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित नहीं था। पूर्व का निर्णय, घटना बही की नकल तथा दखलनामा की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अपीलान्टस ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी की ख0 514 रकबा 0.87 है0 भूमि पर काबिज नहीं हैं। अपीलान्टस ने कई वर्षों पूर्व ही उपरोक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया हैं। वर्तमान में अपीलान्टस का उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं हैं। उक्त कारण से अपीलान्टस के विरूद्ध पारित 30 दिन की सिविल कारावास का आदेश निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्टस द्वारा जुर्माना की राशि जमा करा दी गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील अपीलान्टस को सूचना दिये बिना ही अपीलान्टस की अनुपस्थिति में पारित किया हैं। अपीलान्टस को हुक्म जेर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 03.05.2015 को थाना रामगंजमण्डी की पुलिस द्वारा अपीलान्टस को गिरफ्तार करने आने पर एवं हुक्म जेर अपील के बारे में बतलाने पर हुई। दिनांक 3.5.15 से पूर्व अपीलान्टस को हुक्म जेर अपील के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकार जानकारी होने पर अपीलान्टस ने हुक्म जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिये दिनांक 4.5.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अपीलान्टस को दिनांक 05.05.2015 को प्राप्त हुई। सर्व प्रथम जानकारी की तारीख से हुक्म जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत हैं। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर हुक्म जेर अपील निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्टस के विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त फरमाया जावे। सिविल जेल की सजा माफ फरमाई जावे।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हे, अपीलान्टस ने कई वर्षों पूर्व ही उपरोक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया हैं। अपीलान्टस द्वारा जुर्माना की राशि जमा करा दी गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.09.2012 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 13.05.2015 को पेश की गई, अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि ***चन्दा, हीरा पिसरान गोपी चमार निवासी अमरपुरा तहसील रामगंजमण्डी** जिला कोटा ने ग्राम नालोदिया की* भूमि खसरा नम्बर ***514 रकबा 0.87*** हैक्टेयर ***किस्म गै0मु0 पठार पर*** अनाधिकृत ***फसल हकत काश्त कर अतिक्रमण किया*** है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखली के आदेश करते हुए 250/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 1 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट उक्त अतिक्रमित भूमि को छोड़ने को तैयार है ।

7. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी ख0नं0 514 रकबा 0.87 हे0 किस्म गै0 मु0 पठार से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविश्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग *(शपथ पत्र)* अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तथा जिसकी पुष्टि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा की जावें, तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner